कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीकर

क्रमांक :— 500

दिनांक — 18.01.2022

एस.आर. प्रपत्र—14

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 05/2021—22

[राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम—2013 का नियम- 43(1) व (2) सपठित 43(5)]

सीकर न्यायक्षेत्र में स्थापित समस्त न्यायालयों की वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा हेतु निम्नवत विगत की हार्डवेयर/विषयवस्तु/सामान/मेटेरियल राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम—2013 के नियम—15 के अन्तर्गत खुली प्रक्रिया से क्रय करने हेतु विनिर्माताओं, प्राधिकृत [illegible] विक्रेता/प्राधिकृत स्टॉकिस्ट/प्राधिकृत व्यवहारी/प्राधिकृत सेवा केन्द्र तथा सद्भावी व्यवहारियों तथा उधोग विभाग में पंजीकृत सूक्ष्म/लघु, मध्यम यूनिटो से S.P.P.P. पोर्टल पर प्रकाशित होने अथवा दिनांक 18.01.2022 से 03.02.2022 तक दोपहर 02.00 बजे तक बोली विक्रय की जाकर दिनांक 03.02.2022 को 02.00 बजे तक मोहरबन्द बोलियाँ RTPP एक्ट—2012 एवं RTPP एक्ट—2013 में निहित प्रावधान एवं GF&R पार्ट—II के एस.आर. प्रपत्र—18 की यथा उपान्तरित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है एवं प्राप्त बोलियाँ दिनांक 03.02.2022 को समय 04:00 बजे जिला न्यायालय अथवा [illegible] के अवकाशागार में उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

क्र. स.	उपापन की विषयवस्तु का विवरण मय स्पेसिफिकेशन	मात्रा	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति (EMD) राशि 2%	बोली दस्तावेज शुल्क	आपूर्ति अवधि	बोली विक्रय अवधि	बोली प्राप्ति दिनांक एवं समय अवधि	प्राप्त बोलियाँ खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VGA Spliter (1:4)	33	28050	वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 2(1) वित्त G&TSPFC/2017 दिनांक 16.12.2020 एवं दिनांक 12.01.2022 के अनुसार बोली प्रतिभूति राशि के स्थान पर 50/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में बोली प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।	500/-	10 दिवस	[illegible] प्रकाशित होने अथवा 18.01.22 से 03.02.22 दोपहर 01.00 बजे तक	[illegible] पी.एम. तक	[illegible] पी.एम. पर
2	Active USB Extension Cable (10Mtr)	33	23100						
3	USB HUB 1:4	33	13200						
4	VGA To HDMI Converter	66	29700						
5	DVI To HDMI Converter	66	29700						
6	HDMI Spliter (1 In 2 Out)	66	23100						
7	USB Wifi Adapter/ Receiver (Digisol/D-link)	33	29700						
8	Power Extension Unit (Cable length and sockets as per requiment/4 sockets/ 5 meter Anchor/Oreva/GM)	33	16500						
9	CAT 6 Patch Cord 10 meter	33	14850						
10	External Harddisk (2 TB) Seagate/WD	33	174900						
11	DVD Writer-External	33	66000						
12	UPS 600VA	58	145000						
13	UPS 1KVA	2	10000						

आवश्यक शर्तें—

1. बोली प्रतिभूति राशि के स्थान पर वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(1)वित्त/G&T-SPFC/2017 दिनांक 16.12.2020 एवं दिनांक 12.01.2022 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में बोली प्रतिभूति घोषणा 50/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मय सरचार्ज सहित प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. बोली को स्वीकार करने एवं बिना बताए निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष क्रय समिति / क्रेता अधिकारी को रहेगा।
3. बोली से सम्बंधित विस्तृत शर्तें एवं विनिर्देश कार्य दिवसों में क्रेता के कार्यालय में तथा राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर एवं विभागीय वेबसाइट http://ecourt.gov.in/Sikar पर देखी जा सकती है।
4. बोली का विक्रय, गुड्स एवं सर्विस टैक्स (GST) के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध करवाने पर ही किया जावेगा तथा सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि को सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश पड़ने पर बोली अगले कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार बोली खोलने की तिथि पर अवकाश घोषित हो जाने पर बोलियाँ अगले कार्य दिवस को तय समय पर खोली जावेगी।

अन्य शर्तें :—

1. बोली विहित बोली प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी, जिसे इस कार्यालय से नकद 500/— रूपये भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा। RTPP नियम 45(1) के अनुसार बोली दस्तावेज S.P.P.P. पोर्टल से डाउनलोड करने पर इसकी कीमत का सदांय भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ डी.डी. द्वारा किया जा सकेगा। इस राशि का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो बोलियां विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी व नामंजूर करने योग्य होगी।
2. बोलियाँ मोहरबन्द लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से "सीकर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों की वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा हेतु हार्डवेयर का क्रय" लिखा होगा, जो तय दिनांक व समय तक पहुँच जानी चाहिए। रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित बोली के विलम्ब के लिए बोलीदाता फर्म उत्तरदायी ही रहेगी।
3. जो भी बोलियाँ विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त होगी, उन्हे स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. सामान/सामग्री को जिला न्यायालय परिसर या वांछित आपूर्ति स्टेशन (सीकर मुख्यालय) तक पहुँचाने का लगेज/परिवहन व्यय इत्यादि अलग से देय नहीं होगा।
5. माल की आपूर्ति अनुमोदित स्पेसिफिकेशन एवं सेम्पल के अनुसार करनी होगी अन्यथा आपूर्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
6. उद्धृत दर से जी.एस.टी. व अन्य सभी/प्रभार सम्मिलित होंगे तथापि अलग से देय नहीं होंगे।
7. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। स्पेसिफिकेशन एवं अनुमोदित नमूना के अनुरूप आपूर्ति का प्रभारी अधिकारी (स्टोर) के सत्यापन के बाद ही ECS/NEFT पद्धति से भुगतान जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर के लेखाशीर्षक 2014–00–105–19–01 की विस्तृत इकाई–62 कार्यालय व्यय (कम्प्यूटराईजेशन एवं संचार) में बजट उपलब्धता के अध्यधीन फर्म के बैंक खाते में अन्तरित किया जाएगा।
8. निविदत दरें बोली खोलने की तिथि से 31.03.2022 तक वैध रहेगी।
9. बोली शर्तों के किसी भी प्रकार के संदेह अथवा मन्शा के सम्बंध में बोली खरीदने/खोलने से पूर्व कार्यालय समय में क्रय समिति से स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है।
10. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र सीकर मुख्यालय ही होगा।

अध्यक्ष, उपापन समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर

क्रमांक :— 505 दिनांक :— 28.01.22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर
2. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा जिला एवं सेशन न्यायालय सीकर
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा जिला एवं सेशन न्यायालय सीकर
4. नोटिस बोर्ड जिला कलेक्ट्रेट सीकर
5. एस.पी.पी. पोर्टल पर प्रकाशन के लिए
6. सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

अध्यक्ष, उपापन समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर

एस.आर. प्रपत्र–15
कीमत–500/–

बोली प्रपत्र [RTPP नियम–36(2)]
बोली आमंत्रण सूचना :– 05/2021–22

1. कार्य का नाम– सीकर न्यायक्षेत्र में स्थापित समस्त न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा हेतु वांछित हार्डवेयर का क्रय
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम– ....
3. बोली शुल्क की राशि 500/– नकद रसीद संख्या.......................दिनांक .... द्वारा जमा करा दी गई है।
4. बोली प्रतिभूति (EMD) राशि के स्थान पर निर्धारित प्रपत्र में "बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र" (Bid Security Declaration) निर्धारित शुल्क 50/– एवं देय सरचार्ज के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संलग्न कर दिया गया है।
5. निविदा में अंकित सामानों का अनुमानित मूल्य 8,00,000/– रूपये है।
6. फर्म द्वारा आपूर्ति आदेश प्राप्ति की दिनांक से **10 दिन की अवधि** में माल की सुपुर्दगी कर दी जावेगी।
7. **दरें दिनांक 31.03.2022 तक के लिए विधि मान्य है, इस** अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया जा सकेगा।
8. फर्म का जीएसटी नम्बर ....है।
9. फर्म का आयकर नम्बर ....है।
10. **क्रय किए जाने वाले आईटम सलग्न प्रपत्र के अनुसार है। आईटम के सामने फर्म द्वारा दरें अंकित की गई है जिसमें समस्त कर/जी.एस.टी. शामिल है।**
11. हम जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर द्वारा जारी की गई बोली सूचना संख्या 05/2021–22 दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बोली सूचना की **अतिरिक्त शर्तो तिनिर्देश** से बाध्य होना स्वीकार करते है। जिसको स्वीकार करने के प्रमाण में इनके सभी पृष्ठो पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

घोषणा पत्र

[GF&R पार्ट–II का नियम–43(vi)& RTPP नियम–39(4)]

RTPP नियम–39(4)
एस. आर. प्रपत्र–11

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तो का मैंने हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि **जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर** का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि मेरी/हमारी फर्म द्वारा वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए बोली दी गई है उसके हम बोनाफाईड विनिर्माता/ थोक विक्रेता/ एकल वितरक/ प्राधिकृत डीलर/ विपणन एजेन्ट है। राज्य सरकार/ बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ स्वायत्तशासी संस्थान/ निगम/ बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म का ब्लेक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय सील) कर दिए है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कारवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत किया जा सकेगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांक :–

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मुहर
पूर्ण पता व मोबाईल नम्बर

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर

बोली दस्तावेज मूल्य 500/- रूपये
बोली प्राप्ति दिनांक 03.02.2022 को समय 02:00 पी.एम. तक
बोली खोलने की दिनांक 03.02.2022 को समय 04:00 पी.एम. पर

<u>बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 05/2021–22</u>

बोली (निविदा) प्रपत्र (विशिष्टयाँ)

क्रम	नाम सामग्री	विशिष्टयाँ (Specification)	मात्रा	अनुमानित राशि	निविदा दर (प्रति नग मय जीएसटी)	[illegible]
1	VGA Spliter (1:4)	1:4 Port VGA spliter Input port 1X/VGA 15 HDF input, housing-Metal, Out port, Charger Output : DC 5VC/500mA, Charger Input AC 100-240V / 150mA, Resolution: 1600X 1280 Linux/Ubuntu Supported	33	28050		
2	Active USB Extension Cable (10Mtr)	USB 3.0 Re-peater cable, Fast Data Transfer Speed, Length 10 mtr. Male to Female, Compatable with printer, Webcam, HDD, Camera, Mice, Keyboard, Linux / Ubutnu Supported	33	23100		
3	USB HUB 1:4	1 USB 4 port hub, Fast Data Transfer Speed, Compatable with computer & Laptop, Length 60 cm, Linux / Ubutnu Supported	33	13200		
4	VGA To HDMI Converter	VGA to HDMI connector, Supports Audio too, Linux / Ubutnu Supported	66	29700		
5	DVI To HDMI Converter	DVI to HDMI connector, Supports Audio too, Linux / Ubutnu Supported	66	29700		
6	HDMI Spliter (1 In 2 Out)	HDMI Switch Splitter, HDMI Switch 1 in 2 Out Splitter Supports 4K 2K 3D Full HD 1080p - Linux / Ubutnu Supported	66	23100		
7	USB Wifi Adapter Receiver (Digisol/D-link)	Radio data rate 1000 MBPS, Environment 0°C-50°C frequency range 2.4 GHz Interface - USB 2.0 & 3.0	33	29700		
8	Power Extension Unit (Cable length and sockets as per requiment/4 sockets/ 5 meter Ancher/Oreva/GM)	4/5 Switch & 4/5 Socket	33	16500		
9	CAT 6 Patch Cord 10 meter	CAT-6 Ethernet Cable Digisol/ Dlink	33	14850		
10	External Harddisk (2 TB) Seagate/WD	Digital Storage Capacity-2 TB, Compatible Devices -Laptop & Desktop, Hard Disk Interface- USB 3.0, Connectivity Technology-USB, Fast transfer rates up to 5.0 Gb/s, USB 3.2 Gen1 backwards compatible (USB 3.0 / 2.0), 3 years Warranty	33	174900		
11	DVD Writer-External	UPTO 8X OF DVD & 24X OF CD WRITING SPEED, INCLUDES SUPPORTING SOFTWARES.	33	66000		

		COMPACT , SLEEK & FAST. USB POWERED, CABLE INCLUDED, USB 2.0/USB 3.0 Supported, DVD+/-RW/CD-RW (up to 8.5GB); 8x DVD and 24x CD speeds; M-Disc compatible, Windows/Linux / Ubuntu Supported				
12	UPS 600VA	Capacity 600/360w, Dual Battery Type 12v/7ah x 2, Overload, discharge, and overcharge protection	38	145000		
13	UPS 1KVA	Capacity 1000va/600w, Battery Type 12v/7ah x 2, Overload, discharge, and overcharge protection	2	10000		

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट :—

1. प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर आवश्यक है।
2. ओवरराईटिंग नही करें। कटिंग पर हस्ताक्षर करें।
3. समस्त मदों की दरें अंको और शब्दों में लिखना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक मद की दर अंकित करना आवश्यक है।
5. प्रत्येक मद की केवल एक ही दर अंकित करना आवश्यक है। अन्यथा स्थिति में एक से अधिक दर अंकित होने पर, केवल न्यूनतम दर ही स्वीकार्य होगी।
6. दर के समर्थन में आईटम का मेक भी अंकित किया जावे।
7. दर प्रस्ताव, बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के अध्यधीन प्रस्तुत किया गया है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

खुली बोली के लिए बोली एव संविदा की आवश्यक शर्तें :–

1. बोली विहित प्ररूप में प्रस्तुत की जावेगी। जिन्हें इस कार्यालय से 500/– रूपये नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। **RTTP नियम 45(1) के अनुसार बोली दस्तावेज SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर इसकी कीमत का संदाय भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ डी.डी. द्वारा किया जा सकेगा।** बोली शुल्क की पुष्टि में डी.डी. की छायाप्रति मोहरबंद बोली प्रस्तुत करते समय अलग से प्रस्तुत करनी होगी। यह राशि प्रतिदाय नही होगी।
2. बोली बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "**सीकर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों की वीडियो कान्फ्रेन्सिंग सुविधा हेतु वांछित हार्डवेयर का उपापन**" हेतु बोली एवं बोली आमंत्रण सूचना संख्या व दिनांक लिखा होना चाहिए।
3. **बोली दिनांक 03.02.2022 को सांय 02.00 बजे तक या उससे पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। बोली दिनांक 03.02.2022 को सांय 04.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।**
4. न्यूनतम दरें वाली बोली को स्वीकार करने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगी तथा किसी भी बोली को या उस बोली के किसी भाग को बिना कारण बताएं रद्द किये जाने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष (क्रय समिति) के पास सुरक्षित रहेगा।
5. विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त बोली पर विचार नही किया जावेगा।
6. वर्णित सामान की आपूर्ति बोली स्वीकार करने/**कार्यादेश जारी करने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर** की जावेगी। उक्त अवधि में करार निष्पादित करने की अवधि भी शामिल होगी। विस्तारित परिदत्त अवधि में बोलीदाता जिन सामानों का प्रदाय करने में असफल रहेगा सा.वि.ले.नियम भाग–II के नियम–58(3) के **अनुसार परिनिर्धारित नुकसान (LD) की वसूली/कटौति की जावेगी तथा संविदा शर्तो को भंग करने की स्थिति मे आरटीपीपी नियम–2013 के नियम–42 (11) के अनुसार बोली प्रतिभूति (EMD) राशि जब्त करने तथा नियम–76(3) मे प्रावधितानुसार** सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध आरटीपीपी अधिनियम–2012 या नियम–2013 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम या लाभप्रद बोली लगाने वाले की बोली स्वीकृति का प्रस्ताव देने के लिए स्वतंत्र होगी।
7. बोली की मूल्यांकन कसौटी हेतु क्रय समिति द्वारा सामग्री क्रय का निर्णय गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन पूर्णता के आधार पर प्रत्येक आइटम वाईज वित्तीय परिणामों एवं नमूना परीक्षण पर आधारित होगा। क्रय समिति द्वारा सामग्री के भौतिक निरीक्षण/परीक्षण उपरान्त क्रय बाबत निर्णय लिया जावेगा। **भौतिक परीक्षण हेतु सामग्री अन्दर तीन दिवस मे (आइटम) जिला न्यायालय परिसर मे फर्म को स्वंय के खर्चे पर उपलब्ध/प्रस्तुत करवाना होगा। एतएव दर मूल्यांकन का विश्लेषण प्रत्येक आइटम वाईज अलग–अलग किया जावेगा।**
8. क्रय मदों का भौतिक परीक्षण प्रत्येक मद वाईज प्राप्त न्यूनतम वित्तीय दरों के अनुक्रम में यथा प्रथम, द्वितीय,तृतीय लगातार क्रम में न्यूनतम दरदाता (L-1, L-2, L-3, ...) फर्मो से प्राथमिकता क्रम में किया जावेगा।
9. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना सेम्पल पर सम्पल मद का नाम, साईज, सामुचित स्पेसिफिकेशन, मेक, वजन तथा बोलीदाता फर्म का पूर्ण पता मय दूरभाष संख्या तथा सेम्पल प्रस्तुत करने की दिनांक व आवश्यक विवरण इत्यादि मजबूत कागज पर लिखकर सुरक्षित ढंग से बांधकर अथवा चिपकाकर, उसे उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जावेगा ताकि सामान/सनदक्ष सेम्पल से अदला–बदली नही की सके।
10. परीक्षण हेतु प्रस्तुत नमूना सेम्पल मद की किसी भी प्रकार की क्षति, टूट–फूट, जांच के दौरान किसी भी हानि कि लिए उपापन संस्था उत्तरदायी नही होगी।
11. न्यूनतम दरदाता फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में नमूना सेम्पल प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उसे असफल बोलीदाता घोषित किया जाकर अगले न्यूनतम दरदाता फर्म से नमूना सेम्पल प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जा सकेगा। **यह क्रम अगले न्यूनतम दरदाता फर्म से निरन्तर अपनाया जावेगा।**
12. दर स्वीकृति बाद आपूर्ति आदेश के अनुसार सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म अनुमोदित सेम्पल व मेक के अनुरूप उपापन मदों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा तथा आपूर्ति मदों की समुचित पैकिंग स्वय के खर्चे पर करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति/टूट–फूट नही हो तथा गन्तव्य स्थल पर उपापन संस्था को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। परिवहन के दौरान अथवा आपूर्ति प्राप्ति के समय किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, टूट–फूट या कमी होने पर, बोलीदाता फर्म उपापन संस्था को उन मदो की कमीपूर्ति/सुधार करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जावेगी।
13. यदि क्रय मदों की आपूर्ति उपापन संस्था की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जावेगी तो सम्बन्धित बोलीदाता (आपूर्तिकर्ता फर्म) को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद उपापन संस्था

प्रदाय हेतु संविदा को किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकेंगी, जो आपूर्तिकर्ता फर्म पर बाध्यकारी होगी।

14. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-73 के अनुसार उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपापन नहीं करती है या बोली दस्तावेज में अंकित मात्रा से कम उपापन करती है तो बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त मदों या परिमाण के लिए पुनरादेश दिया जा सकेगा। पुनरादेश के लिए आपूर्ति अवधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश की मात्रा मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत तक होगी। यदि बोलीदाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो उपापन संस्था अवशेष समान की सप्लाई कोटेशन/सीमित बोली पद्धति या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगी तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बोलीदाता से वसूली की जावेगी।

15. बोलीदाता को सामग्री की आपूर्ति जिला न्यायालय परिसर अथवा वांछित आपूर्ति स्टेशन (मुख्यालय सीकर) पर करनी होगी।

16. किसी भी प्रकार का लगने वाला कर, जीएसटी, शुल्क स्वयं बोलीदाता द्वारा देय होगा। अतः दरें समस्त कर व शुल्क सहित ही प्रस्तुत करनी होगी। आवश्यक होने पर जीएसटी व टीडीएस की कटौति उपापन संस्था के स्तर पर की जाकर भुगतान किया जा सकेगा।

17. सामग्री की मात्रा घटाई या बढाई जा सकती है अथवा किसी आइटम को क्रय करने/न करने के संबध मे उपापन समिति को पूर्ण अधिकार होगा।

18. बोली की विधिमान्यता अवधि आरटीपी नियम-2013 के नियम48(1) के अनुसार 90 दिवस तक मान्य रहेगी किन्तु अपवादिक स्थिति मे बोलीदाता की पारस्परिक सहमति से विधिमान्यता अवधि अभिवृद्धि की जा सकेगी तथा बोली स्वीकृति के पश्चात अनुमोदित/स्वीकृत दर 31.03.2022 तक मान्य होगी।

19. **बोली स्याही या बालपेन या टंकण से भरी जावे। पेन्सिल से भरी बोली पर विचार नही किया जावेगा, ओवर राईटिंग/कटिंग नही करे। ओवर राईटिंग/कटिंग होने पर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करे। अंकित दर के समर्थन में सामग्री का मैक भी अंकित किया जावे।**

20. सशर्त बोली प्रथमदृष्टया निरस्त योग्य होगी। बोलीदाता यदि ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो बोली में वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उसके विरोध में है तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा।

21. आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं रूल्स 2013 व सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम के समस्त प्रावधान उक्त क्रय पर यथा आवश्यक उपान्तरण सहित लागू एवं प्रभावी होगें।

22. **बोलीदाता को जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा बोली के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन व आयकर रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव मे बोली स्वीकार करने योग्य नही होगी।**

23. **सभी मदों की दरें डालना अनिवार्य है। प्रत्येक आईटम की एकल दरें ही मान्य होगी तथा एक से अधिक दर अंकित करने पर सम्बन्धित आईटम की न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी।** दर के साथ मेक भी अंकित किया जावेगा।

24. आरटीपीपी नियम-51(2) के अनुसार बोली खोलने की तिथी को राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने की स्थिति में बोली अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी।

25. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जावेगा कि उसने प्रदाय करने वाली मदों के स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक, आदि की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद ही दर अंकित की गई है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, साईज, मॉडल आदि के आशय के बारे में कोई संदेह हो तो व दर डालने व बोली पर हस्ताक्षर करने से पूर्व क्रेता अधिकारी/उपापन संस्था से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।

26. अनुमोदित प्रदायकर्ता आपूर्ति आदेश के किसी भी भाग/मात्रा को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को नही सौंपेगा तथापि उप-भाडे (सब-लेट) पर नही देगा।

27. प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुऐं बोली में निर्धारित विनिर्देश (स्पेशिफिकेशन) व मानकीकृत (स्टेन्डर्ड) के अनुसार अतिउत्तम गुणवत्ता एवं विवरण (Very best quality & description) के अनुसार होगी। इस बावत उपापन संस्था द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम एवं सम्बन्धित बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

28. जिन मदों पर वारंटी/गारंटी खन्ड लागू होगा उन मदों के लिए बोलीदाता इस आशय की गारंटी/ वारंटी देगा कि गारन्टी/वारन्टी से सम्बन्धित विषयवस्तु/सामग्री सुपुर्दगी की दिनांक से विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी। इस तथ्य के बाद भी उक्त मदों के भौतिक निरीक्षण/परीक्षण पर उक्त विवरण एवं गुणवत्ता की नहीं होने पर उक्त मदों को उपापन समिति/उपापन संस्था को रद्द करने का हकदार होगा। रद्द की गई सप्लायर/विक्रेता की

जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबन्ध लागू होंगे। सप्लायर को गारंटी/वारन्टी अवधि में जब भी ऐसा करने के लिए कहा जावेगा, वह उस माल/सामग्री को बदलने अथवा दोष सुधार करने के लिए तत्पर रहेगा, अन्यथा बोलीदाता ऐसी नुकसान का भुगतान करेगा, जो इसमें दी गई गारन्टी/वारन्टी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी।

29. अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई निविदाओं के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति (EMD)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) को नयी बोलियो (निविदाओं) के लिए प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति के प्रति समायोजित नहीं किया जावेगा। तथापि यदि बोलियां को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति को उपयोग में लिया जा सकेगा।

30. परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट–फूट रद्द की गई मदों/सामग्री के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जावेगी। कम सप्लाई, टूट–फूट, रद्द किए गए सामान की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है, तो परिनिर्धारित क्षति के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध बोली कार्य सम्पादन प्रतिभूति से की जावेगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के तहत कार्यवाही कर वसूली की जावेगी।

31. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा मूल प्रति प्रस्तुत की जावेगी।

32. वित्तीय बोली खरीदने के बाद आवश्यकता हुई तो न्यूनतम दरदाता से बातचीत (नेगोसिएशन) किया जा सकेगा। किन्तु नेगोसिएशन बोली लगाने वाले द्वारा दिये गए मूल प्रस्ताव को प्रभावहीन नहीं करेगी।

33. न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वालों से दरें असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में, बोली मूल्यांकन समिति न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वालों को एक लिखित प्रति प्रस्ताव देने का चयन कर सकेगी और यदि वह उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो उपापन समिति बोली को अस्वीकार करने तथा बोलियां पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकती है या वही प्रति प्रस्ताव दूसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले तथा अगले बोलीदाताओं को देकर, प्रदाय आदेश उस बोली लगाने वाले को अधिनिर्णित किया जा सकेगा, जो प्रतिप्रस्ताव स्वीकार करेगा।

34. आपूर्ति जब भी प्राप्त की जाएगी, उनका निरीक्षण/परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे वांछित स्पेसिफिकेशन या अनुमोदित नमूने के अनुरूप है। जहां आवश्यक एवं व्यवहारिक होगा परीक्षण उसके विषय विशेषज्ञ से करवाया जा सकेगा।

35. निरीक्षण एवं परीक्षण के दौरान जो वस्तुए अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हे निर्धारित अवधि में उसकी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

36. जहॉ सरकार कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से प्रश्नांकित मदो को बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जावेगा, तो उपापन संस्था बोलीदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौति कर सकेगी। इस प्रकार की गई कटौति अन्तिम होगी।

37. बोलीदाता को उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

38. उपापन समिति या उसका नामित प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर यथा आवश्यक होने पर प्रदायकर्ता के गोदाम/परिसर/वर्कशॉप में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चत किया जाएगा, सभी युक्तियुक्त समयों पर कय मदों की सामग्री एवं कर्मकौशल (workmanship) का निरीक्षण एव जॉच करने की सम्पूर्ण शक्तियां होगी।

39. **समस्त बोलीदाताओं को इन शर्तो व विनिर्देशों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा बोली प्रस्तुत करते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना बोलीदाता पर बाध्यकारी है।**

40. **किसी भी प्रकार का विवाद में न्यायक्षेत्र सीकर शहर होगा।**

सहमति स्वरूप बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय फर्म मोहर

अध्यक्ष (उपापन समिति)
जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर

CERTIFICATE OF CONOFORMITY/NO DEVIATION (TO BE FILLED BY THE BIDDER)

To,

The Chairman,
Computer committee,
District & Session Court, Sikar

NIB: ------------------------------- Date:-------------------------------

Certificate

This is to certify that, the specification of Hardware items which/we have mentioned in the Technical bid, and which it we shall supply if I/We am /are awarded with me work, are in conformity with the minimum specification of the Tender/bidding document and that there are no deviations of any kind from the requirement specification.

Also, I/We have thoroughly read the tender/bidding document and by signing this certificate. We hereby submit our token of acceptance to all tender terms & conditions without any deviations.

I/We also certify that the price I/We have quoted is inclusive of all cost factors involved in the net-to-end implementation and executing of the project, to meet the desired standards set out in the Tender/bidding document.

Thanking You

Name of the Bidder :

Authorized signatory :

Seal of the Organization :

Place :

Date :

BIDDER'S AUTORIZATION CERTFICATE (To be filled by the Bidder)

To,

The Chairman,
Computer Committee,
District & Session Court, Sikar

Sir,

If I/We .... (Name/Designation) hereby declare/certify that .... (Name/Designation) is hereby authorized to sign relevant documents on behalf of the company/firm in dealing with Tender/NIB no............ Date ....

He/She is also authorized to attend meeting & submit technical & commercial information/Clarification as may be required by you in the course of processing the BID for the purpose of validation his/her verified signatures are as under.

Thanking you,

Verified

Signature

Name of the Bidder:

Authorized Signatory:

Seal of the Organization

Place :

Date :

BIDDER'S AUTORIZATION CERTFICATE (To be filled by the Bidder)

To,

The Chairman,
Computer Committee,
District & Session Court, Sikar

Sir,

In response to the ref. NIB no......... Date.............. Dated........... Purchase of Hardware items, as an owner/Partner/Director/Auth. Sign of .... I we hereby declare that presently our Company/Firm ...... at the time of bidding :-

1- Possesses the necessary professional, technical, financial and managerial resources and commence required by the bidding document issued by the procuring Entity.
2- Having fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified into him Bidding document.
3- Is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/Central Government/PSU.UI.
4- Does not have any previous transgressions with any entity in India or any other country during last three years.
5- Does not have any debarment by any other procuring Entity.
6- Is not insolvent in receivership, bankrupt or being wood up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and is not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
7- Does not have, and our directors and officers not have convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements of misrepresentative as to the qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to department proceeding.
8- Does not have a conflict of interest as mentioned in the bidding document which materially affects the fair competition.
9- Will comply with the code or integrity as specified in the bidding document.

If this declaration if found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules there to prescribed by Gore. My/Our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted may be cancelled.

Signature
Name of the Bidder:
Authorized Signatory:
Seal of the Organization
Place :
Date :

From of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No :
Alternative No :

To

The Chairman,
Computer Committee,
District & Session Court, Sikar

We , undersigned, declare that :

We, understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid- Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely-

(a) when we withdraw of modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not excute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified peropd,
(c) when we fail to commence the supply of goods or service or exeute work as per supply/work order within the time specified
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
(e) If we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-
(i) We are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid;
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrwal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed : ....

Name : ....

In the capacity of : ....

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of

corprate Seal ....

[Note : In case of a Joint Venture, Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]